भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून-248001 दूरभाषः 0135-2650809 फैक्स-0135-2653010 ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE) 25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001 PHONE- 0135-2650809 FAX-0135-2653010 Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या ८ बी. / यू.सी.पी. / 09 / 156 / 2016 / एफ0 सी0 / 1378

दिनांक 29/09/2020

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद- अल्मोड़ा में जागर से भागादेवली लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.378 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतू लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/11625/2015)

सन्दर्भ:--अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक --796 / FP/UK/ ROAD/11625/2015 दिनांक 14-09-2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 26/07/2016 का जवाब में निम्नलिखित कमियां पाई गई है। अतः राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं का जवाब प्रेषित करें:--

- 1- It is seen that the State Government has submitted the reply to this office EDS dated 26.07.2016 after a period of 4 years vide letter refereed above. State Govt. may submit the reason of delay in submitting the reply.
- 2- Digital map submitted is not countersigned by DFO. State Government may submit/ upload the digital map duly countersigned by DFO.
- 3- As per NPV sheet rate is charged for dense forest in open forest area, which may be
- 4- Tree enumeration list of 23 trees has been uploaded but entry of 21 trees has been made at para 4 in Part II. State Govt. may clarify this discrepancy and submit/upload correct information in this regard.
- 5- State Government may check the feasibility of the transplantation of the tree falling in 0-10 cm and 10-20 cm dia class as mentioned by CF in his SIR.
- 6- राज्य सरकार लाभान्वित होने वाले ग्राम की स्थिति एवं उपलब्ध road network को भी KML file पर अंकित ऑनलाईन पैरा C(ii) (b), Part I पर अपलोड करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:--

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(टी० सी० नौटियाल) उप महानिरीक्षक, वन (के०)